राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां, जिला जोधपुर

…प्रकरण संख्या– …/2019
…अधिकारी– … आर.ए.एस.

…र्थी– … पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम नोटानियानगर तहसील …ओसियां जिला जोधपुर।

बनाम

…प्रार्थी– तहसीलदार, बापिणी।

उपस्थिति–
1. श्री … विश्नोई वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी तरफसे पैरोकार उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–: निर्णय :–

दिनांक –30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पिता तुलछाराम व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त शुदा भूमि खसरा नम्बर 723 रकबा 70.09 बीघा मौजा नोटानियानगर में आई हुई है, उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम हनुमाना पुत्र नगाराम दर्ज है लेकिन प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम तुलछाराम है। राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल वश हनुमाना दर्ज कर दिया जो गलत है, प्रार्थी के पिता के तमाम दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड तथा मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुलछाराम पुत्र नगाराम के नाम से बने हुए है तथा अन्य भूमि के राजस्व रेकर्ड में भी तुलछाराम पुत्र नगाराम दर्ज है। जो पूर्व में शुद्धि करवाकर दर्ज करवाया है, लेकिन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि में नाम शुद्ध नहीं हुआ। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सदभाविक भूल के कारण हुई है,जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः खसरा नम्बर 723 ग्राम नोटानियानगर में प्रार्थी के पिता हनुमाना पुत्र नगाराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र नगाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कि… अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी त… संयुक्त के जवाब में बताया कि प्रार्थी के …

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि ग्राम मोटानियानगर के खसरा नम्बर 723 रकबा 70.09 बीघा आई हुई है, जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम हनुमाना पि. नगाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के पिता तुलछाराम पि. नगाराम की इसी ग्राम मोटानियानगर के खसरा नम्बर 334 रकबा 44.13 बीघा आई हुई है, जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम तुलछाराम पि. नगाराम ही दर्ज है। प्रार्थी के पिता के अन्य दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र में तुलछाराम पि. नगाराम दर्ज है तथा ग्राम लाखेटा के खसरा नम्बर 786, 984, 270, 782, 794, 806, 814, 819, 662, 979 में नामान्तरकरण संख्या 369 न्यायालय आदेश द्वारा प्रार्थी के पिता हनुमाना पि. नरींगा के स्थान पर तुलछाराम नरींगा दर्ज है। अतः हनुमाना पि. नगाराम के स्थान पर तुलछाराम पि. नगाराम किया जाना उचित है।

उभय पक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित इबारत को दोहराया गया तथा अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार रेकर्ड शुद्धिकरण किये जाने का निवेदन किया गया।

अतः हमने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया, जिस अनुसार हमारा विनिश्चिय यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर है तथा तहसीलदार, बापिणी के द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिला है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का खण्डन नहीं किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः खसरा नम्बर 723 ग्राम मोटानियानगर में प्रार्थी के पिता हनुमाना पुत्र नगाराम के स्थान पर तुलछाराम पुत्र नगाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार, बापिणी राजस्व रेकर्ड में शुद्धिकरण करें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी ओसिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:42:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner